



R-1392-1108

जगदीश प्रसाद तनय स्व.भरोसा नाई, उम्र-65 वर्ष, पेशा खेती, निवासी
ग्राम पतौता, तहसील रायपुर कर्णेलयान, जिला रीवा म.प. ---अपीलांट
बनाम

कमलेश तनय रामकृपाल नाई, उम्र-40 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम पतौता
तह. रायपुर कर्ण. जिला-रीवा म.प. ---- रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश सीड.कमिश्नर साहब

रीवा प्र.क्र.605/2000-2001 निर्णय दि.

13.10.2008.

अपील अन्तर्गत हस्तदफा 44 म.प. भू.रा.
सीहता 1959ई.

अपील के आधार निम्न प्रकार है :-

01- यह कि निर्णय योग्य अदालत मातहत विरुद्ध कानून तथ्य एवं प्रीक्या के होने से अमान्य है।

02- यह कि योग्य अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह तथ्य मानने में कि मात्र सहमति के आधार पर अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति के नाम से किया जा सकता है। अहम कानूनी एवं वाक्याती भूल किया है।

03- यह कि योग्य अदालत मातहत ने अपने समस्त विचाराधीन अपील में राजस्व निरीक्षक तहसील गृह के द्वारा पारित नामांतरण पंजी क्रमांक 11 को बिना बुलाये एवं उस पर गंभीरता से विचार किये बिना

अपील 1392-1108
कमलेश तनय रामकृपाल नाई
21-10-08

21-10-08
अपील 1392-1108

Advocate
Rawa m.p.

M

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-6-16	<p>आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक उपस्थित नहीं/अना. अभि-अ अश्विन पाठ्य उपस्थित/ आवेदक को तीन बार आवाज लगवाई गई/कोई उपस्थित नहीं/ प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकृष्टा चलाने में सक्षम नहीं है/ऐसी स्थिति में प्रकृष्टा समाप्त किया जाया है/</p> <p style="text-align: right;">अश्विन</p>	